

## एकमुश्त भुगतान विकल्प देने पर -

- आवंटन के पश्चात् आवंटन पत्र निर्गमन तिथि से 60 दिन में भूखण्ड के मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर 05 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

### किशतों में भुगतान विकल्प देने हेतु -

- भूखण्ड आवंटन के पश्चात् भूखण्ड के मूल्य में 12 प्रतिशत फ्री होल्ड शुल्क को जोड़कर 50 प्रतिशत धनराशि एक माह में पंजीकरण धनराशि सहित एवं शेष धनराशि 36 मासिक किशतें+दिनांक 01.04.2022 को प्रभावी MCLR+1% ब्याज सहित देय होगी। किशतों का भुगतान आवंटन के तुरन्त बाद प्रभावी हो जायेगा।

### नोट:

- तालिका में दर्शायी गयी भूखण्डों की संख्या संशोधित/परिवर्तित हो सकती है।
- भूखण्ड के क्षेत्रफल में कमी/वृद्धि होने की दशा में तदानुसार धनराशि देय होगी।
- भूखण्डों की स्थिति के अनुरूप पी.एल.सी. (कार्नर सम्पत्ति पर 10 प्रतिशत, पार्क फेसिंग/ग्रीन बेल्ट पर 5 प्रतिशत) अतिरिक्त धनराशि देय होगी। यदि किसी भूखण्ड की परिस्थिति में कार्नर, पार्क फेसिंग/ग्रीन बेल्ट तीनों सुविधाएं अनुमन्य हो रही हैं तो उसका मूल्य सामान्य मूल्य से 15 प्रतिशत अधिक होगा। उक्त के अतिरिक्त भूखण्ड के कुल मूल्य पर 12 प्रतिशत फ्री होल्ड शुल्क देय होगा।
- प्रदेशन पत्र निर्गत होने के उपरांत राज्य सरकार के कोई कर की यदि देयता होती है तो आवेदक को भुगतान करना होगा।
- न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा आवंटन पत्र में उल्लिखित मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो तदानुसार आवंटन को उसका भुगतान करना होगा। कोई विवाद मान्य न होगा।
- भूखण्ड का कब्जा शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी के बाद हस्तगत किया जायेगा।
- आवंटन में परिषद/शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आरक्षण देय होगा।
- भूखण्ड का कब्जा परिषद आवंटन तिथि के 36 माह में प्रदान करेगा। विलम्ब की दशा में आवेदक की सहमति पर जमा धनराशि बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी। परिषद द्वारा विलम्ब से कब्जा दिये जाने की दशा में आवंटन को दिनांक 01.04.2022 की एस.बी.आई. की प्रभावी ब्याज दर MCLR+1% के अनुसार 8.00 प्रतिशत +1 प्रतिशत की दर से ब्याज उसी आवंटन को भुगतान किया जायेगा, जो अपनी किशतें जमा करने में कभी डिफाल्ट न हुआ हो अथवा धनराशि एकमुश्त जमा कर दिया हो। यह भी उक्त ब्याज उस तिथि तक देय होगा जिस तिथि में परिषद द्वारा कब्जा दिये जाने की प्रक्रिया आरम्भ की जाए तथा "Force Majure" की स्थिति में यह भुगतान देय नहीं होगा। इस सम्बन्ध में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।

## 1. भुगतान का तरीका

1.1 आवंटन के पश्चात् आवंटन पत्र निर्गमन तिथि से भूखण्ड के कुल मूल्य का 60 दिन के अन्दर पूर्ण भुगतान करने पर भूखण्ड के मूल्य पर 5 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमन्य होगी।

1.2 आवंटन पत्र निर्गमन की तिथि से प्रथम किशत की धनराशि 30 दिन के अन्दर बैंक कार्य दिवस में सीधे निर्धारित बैंक शाखा में ऑनलाईन जमा की जा सकेगी।

1.3 प्रदेशन/आवंटन पत्र के अनुसार निर्धारित अन्तिम तिथि में बैंक में अवकाश होने की स्थिति में बैंक के आगामी कार्य दिवस तक, किशत की धनराशि/पूर्ण देय धनराशि जमा करने की स्थिति में विलम्ब के कारण उक्त धनराशि पर ब्याज/अतिरिक्त ब्याज देय नहीं होगा।

1.4 आवंटन किसी भी समय अवशेष किशतों की निर्धारित संख्या से कम किशतों में भुगतान करने हेतु आवेदन करता है अथवा कुछ धनराशि एकमुश्त जमा करके किशतों की धनराशि कम करने हेतु अनुरोध करता है तो इस प्रकार की अनुमति सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के प्रभारी स्तर से दी जा सकती है। किशत पर आवंटन भुगतान सम्पत्ति का अवशेष मूल्य किसी भी समय एकमुश्त जमा किया जा सकता है।

अभियन्ता अभियन्ता  
निर्माण कार्य, रहलखण्ड-02  
3030 आवास एवं विकास परिषद



1.5 पंजीकरण आवंटन हेतु प्रदेशन पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर 50 प्रतिशत धनराशि एवं शेष धनराशि 36 किशतों में दिनांक 01.04.2022 को प्रभावी व्याज दर MCLR+1% अर्थात् 8.00% +1% की दर के अनुसार देय होगी।

1.6 किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में अवशेष धनराशि पर दिनांक 01.04.2022 को प्रभावी व्याज दर MCLR+1% अर्थात् 8.00% +1% सामान्य व्याज दर के साथ 2 प्रतिशत अतिरिक्त व्याज की दर से देय होगा। परिपद द्वारा बकाये की तीन पंजीकृत नोटिस निर्गमन के उपरान्त बकाया धनराशि का भुगतान न करने पर परिपद नियमानुसार कटौती कर आवंटन एवं पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जाए।

1.7 समस्त भुगतान परिपद द्वारा अधिकृत बैंक से नकद/बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक/ RTGS/NEFT एवं आनलाईन के माध्यम से पंजीकरण धनराशि जमा की जा सकती है। बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक "उ.प्र. आवास एवं विकास परिपद"/ "UPAVP" के नाम जो मुरादाबाद शहर में देय हो, के पक्ष में होना चाहिये। उक्त धनराशि प्रदेशन पत्र में अधिकृत बैंक शाखा में पंजीकरण संख्या/चालान संख्या, आवेदक का नाम, योजना का नाम, भूखण्ड संख्या आदि विवरण सहित निर्धारित बैंक चालान पर जमा करना होगा।

1.8 नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क, गृहकर, जलकर आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।

## 2 आवंटन नियम

2.1 आरक्षण की सुविधा शासन/परिपद नियमानुसार देय होगी।

2.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक लाटरी ड्रा द्वारा आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। उक्त आवंटन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना व्याज के परिपद द्वारा निर्धारित बैंक से यथासम्भव एक माह में आवेदक के अपने आवेदन में अंकित किए गये बचत खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

2.3 लाटरी ड्रा से एक सप्ताह पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिपद वेबसाइट [www.upavp.in](http://www.upavp.in) पर प्रदर्शित की जायेगी जिसमें लाटरी ड्रा हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व यदि कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है तो आवेदक पंजीकृत डाक से/व्यक्तिगत अथवा ई-मेल [emombd@upavp.com](mailto:emombd@upavp.com) से कार्यालय को सूचित करेंगे, तदनुसार परीक्षणोपरान्त उसका निराकरण सम्बन्धित, सम्पत्ति प्रबंध से कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के द्वारा ससमय किया जा सकेगा अन्यथा की स्थिति में लाटरी ड्रा की तिथि एवं उसके पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा अतएव आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

2.4 सम्पत्ति के विरुद्ध प्राप्त पंजीकरण आवेदनों की सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी की पृथक-पृथक सूची तैयार की जायेगी।

2.5 सम्पत्ति आवंटन हेतु लाटरी ड्रा के नियत तिथि, समय की सूचना परिपद वेबसाइट [www.upavp.in](http://www.upavp.in) पर 10 दिन पूर्व प्रदर्शित कर दी जायेगी।

2.6 लाटरी की नियत तिथि, स्थान समय की सूचना दो दैनिक समाचार पत्रों में भी विज्ञप्ति के माध्यम से कम से कम 10 दिन पूर्व प्रसारित करायी जायेगी।

2.7 लाटरी के सफल आवेदकों एवं उनको आवंटित सम्पत्तियों का विवरण लाटरी ड्रा के पश्चात परिपद वेबसाइट [www.upavp.in](http://www.upavp.in) पर यथा सम्भव उसी दिन प्रसारित कर दी जायेगी तथा आवंटन पत्र पंजीकृत डाक/व्यक्तिगत/ऑनलाईन के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।

2.8 सफल आवेदकों को आवंटित सम्पत्ति का आवंटन पत्र निर्गमन से पूर्व भू-सम्पदा (विनियम और विकास) अधिनियम-2016 के प्राविधानों के अधीन विहित प्रारूप पर विक्रय करार निष्पादित करना होगा और उक्त करार पत्र के समस्त उपबन्ध बाध्यकारी होंगे तथा उसको नियमानुसार उप निबन्धन कार्यालय में निबन्धन कराना होगा, इस प्रक्रिया में आने वाला व्यय भार आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

अधिसूचना अभियन्ता  
निर्माण एवं विकास, रुहेतखण्ड-02  
3090 आवास एवं विकास परिपद  
मुरादाबाद



2.9 आवंटित भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त भूखण्ड पर निर्माण हेतु मानचित्र प्रस्ताव ऑनलाईन वेबसाइट [www.upobpas.in](http://www.upobpas.in) पर आवेदन उपविधि 2008 तथा संशोधित 2016 के प्राविधानों के अनुसार किया जाना आवश्यक होगा।

2.10 जिस प्रयोजन एवं उद्देश्य से सम्पत्ति का आवंटन किया गया है, उसी उपयोग में लायी जायेगी। उपखण्ड की रजा में विक्रय विलेख निरस्त करने की विधिक कार्यवाही परिषद द्वारा की जायेगी।

2.11 परिषद/आवासदातों के अनुसार पंजीकरण लाटरी ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।

2.12 आवंटित भूखण्ड का परिवर्तन किसी भी रजा में अनुमत्त नहीं किया जायेगा।

2.13 प्रथम चरण में एकमुस्त भुगतान करने पर प्राप्त आवेदकों के मध्य आवंटन सार्वजनिक लाटरी ड्रा द्वारा किया जायेगा। उक्त के उपरान्त यदि सम्पत्ति शेष रह जाती है, तो किलों पर प्राप्त आवेदकों के मध्य सार्वजनिक लाटरी ड्रा की कार्यवाही की जायेगी।

2.14 भूखण्डों का आवंटन सार्वजनिक लाटरी ड्रा द्वारा किया जायेगा।

### 3. पंजीकरण हेतु पात्रता

3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।

3.2 आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

3.3 भूखण्डों के पंजीकरण हेतु आवेदकों के लिए सम्पत्ति सीमा/आय सीमा का प्रतिबन्ध नहीं होगा।

3.4 आवेदक अथवा उसका परिवार एक नगर में परिषद से केवल एक ही आवासीय (भूखण्ड) के आवंटन हेतु पात्र होगा।

3.5 आवेदक या उसके परिवार के पास उन नगर में जहां आवासीय (एकल भवन/भूखण्ड) कब करने के लिए पंजीकरण करना है, उस नगरीय क्षेत्र में उसकी या उसके परिवार की कोई सम्पत्ति न हो तथा उ. प्र. के अन्य किसी नगर अथवा गहरीय क्षेत्र में एक से अधिक सम्पत्ति न हो।

3.6 भूखण्डों में आय सीमा प्रतिबन्धित नहीं है। पंजीकरण पुस्तिका नगर के निर्धारित बैंक इंडमंड बैंक, मिजिल लाइन्स, मुरादाबाद से प्राप्त की जा सकती है, वहीं से फार्म भर कर जमा करा जा सकता है।

4. आवेदन ऑनलाईन / ऑफलाईन दोनों प्रकार से किये जायेंगे

4.1 ऑन-लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट [www.upavp.in](http://www.upavp.in) पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक "Online Registration For Plot" पर क्लिक करना होगा।

4.2 इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के लिंक "मझोला योजना सं0-4, भाग-2 (विस्तार), मुरादाबाद" पर क्लिक करना होगा।

4.3 आवेदक द्वारा संबंधित योजना/भूखण्ड की समस्त जानकारियाँ भली-भाँति पढ़कर 'Apply Online' लिंक पर क्लिक किया जायेगा।

पंजीकृत आवेदन  
निर्माण खण्ड, एडमिनिस्ट्रेशन-02  
30220 आवास एवं विकास परिषद  
मुरादाबाद